13/10/25 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थी सं० 15 की ओर से भी विद्वान अधिवक्ता उप० है। इन्हें सुना गया। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा बहस बिन्दुवार पर मनन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जायेगा कि किया गया। पत्रावली फैसल हुआ होकर नम्बर से खारिज हो। बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | – | रामकिषोर मीना–II (आर ए एस) |
| राजस्व प्रार्थना न. | – | 128 / 2023 |
| दायर दिनांक | – | 18.07.2023 |
| निर्णय दिनांक | – | 13/10/25 |

उनवान

1. **कैलाशचन्द पुत्र बहादूरसिंह जाति अहीर निवासी बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड़ जिला–कोटपूतली–बहरोड।**

......**प्रार्थी**

बनाम

1. श्रीचन्द पुत्र विशम्भर जाति अहीर निवासी बनैसिंहपुरा तहसील बहरोड़।
2. कमलेश पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड।
3. गोरधन पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड।
4. दुलीचन्द पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड़।
5. बन्शीधर पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड़।
6. सन्तोष पुत्री रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड़।
7. हीरासिह पुत्र रामसिंह जाति अहीर, निवासी ग्राम बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड।
8. बनवारीलाल पुत्र तेजाराम जाति अहीर निवासी बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड।
9. मूला पुत्र नत्थु जाति अहीर निवासी बनैसिंहपुरा तहसील बहरोड़।
10. रामफल दत्तक पुत्र हरदयाल जाति अहीर निवासी बनैसिंहपुरा तहसील बहरोड़।
11. शर्मिला पुत्री हरदयाल जाति अहीर निवासी बनैसिंहपुरा तहसील बहरोड।
12. राजेन्द्र पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड़।
13. धनपतराम पुत्र गंगादीन जाति ब्राहम्ण, निवासी बसई तहसील बहरोड़।
14. रेशमी देवी पत्नी धनपतराम जाति अहीर, निवासी बसई तहसील बहरोड़।
15. ग्राम पंचायत बसई प.स. बहरोड।
16. **लैण्ड होल्डर जरियें तहसीलदार बहरोड़ तहसील बहरोड़।** .....अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्त. अधिनियम,**

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दाताराम यादव अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

**–: निर्णय :–**

आज यह पत्रावली वास्ते आदेष हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 275/345 रकबा 3 ऐयर व 269 रकबा 18 ऐयर व 276 रकबा 54 ऐयर व 268 रकबा 37 ऐयर व 270 रकबा 27 ऐयर व 274 रकबा 12 ऐयर व 277 रकबा 13 ऐयर व 1888/113 रकबा 7 ऐयर व 1892/113 रकबा 6 ऐयर वाके ग्राम बनेसिहपुरा एवं बसई तहसील बहरोड मे स्थित है। हाल आराजी खसरा नम्बर हाल 275/345 रकबा 3 ऐयर ,269 रकबा 18 ऐयर वाके ग्राम बनेसिहपुरा मे स्थित है जो प्रार्थी एव प्रार्थी के भाई बहिन के कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी की आराजी ख. न. हाल 269 वाके ग्राम बनेसिहपुरा तहसील बहरोड मे स्थित है जो ग्राम बनेसिंहपुरा व ग्राम बसई की सीमा पर स्थित है। जो ख.न. 269 के तरफ दक्षिण मे ख. न. 1888/113 व 1892/113 लगता हुआ है। तथा प्रार्थी की आराजी ख.न. 275/345 269 के आसे पपासे ख. न.276,268,270,274,277, वाके ग्राम बनेसिंहपुरा व 1888/113,1892/113 वाके ग्राम बसई तहसील मुताबिक नक्शा ट्रेस के आपस मे लगते हुऐ है। तथा डोल बुजुगानो के समय से मुताबिक नक्शा ट्रेस के आपस में लगते हुऐ है। तथा डोल बुजुगानों के समय से मुताबिक नक्शा ट्रेस के चली आ रही है। अप्रार्थी स. 01 लगायत 15 प्रार्थी की सज्जनता का नाजायज रूप से फायदा उठाने की नियत से डोल को तोडकर ख. न. 269,275/345 के रकबा को जबरन अपनी जमीन मे दबा लिया था प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को डोल तोडने से मना करने पर अप्रार्थीगण झगडा फिसाद करते है। और अप्रार्थीगण जबरन डोल तोड दी जिस पर प्रार्थी ने पैमाईश के लिए आवेदन किया जिस पर पैमाईश

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

दिनाक 26.5.2025 को की गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी मुतानाजा की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.05.2023 एवं नक्शा ट्रेश एवं राजस्व रिकोर्ड के अप्रार्थी स0 16 तहसीलदार साहब से मौके पर करवायी जावे। तथा अप्रार्थी सं. 01 लगायत 15 द्वारा पत्थर गढी नही करने की सूरत में पुलिस इम्दाद से पत्थरगढी करवाया जाना विधि सम्मत है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 व 15 जरिये अधिवक्ता के उपस्थित हुये। अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अन्य अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित है।

हमने वकुलाय के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 में आराजी खसरा नम्बर 269,270,275/345 वाकै ग्राम बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड में प्रार्थी 1/5 हिस्सा के खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थी उक्त आराजी की पैमाईश व पत्थरगढी करवाना चाहता है। उपरोक्त विवादित आराजी में प्रार्थी 1/5 भाग के खातेदार काश्तकार है। तत्पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण आराजी का खातेदार होने तथा खातेदार अपनी आराजी की पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। मौजूदा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बहरोड से दिनांक 26.05.2023 को पैमाईश करवाई गई है। उक्त पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिस सूरत में पत्थरगढी करवाया जाना विधिक है।

–: आदेश :–

अत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहरोड को निर्देषित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 269, 270, 275/345 वाकै ग्राम बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड कि पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.05.2025 के आधार पर समस्त पक्षकरो की उपस्थिती में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश किसी प्रकार के कब्जा हस्तानान्तरण हेतु मान्य नही है। पालना हेतु अहकाम बनाम तहसीलदार जारी हो।

आज दिनांक 13/10/25 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीणा–II)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड